



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12072022-237253
CG-DL-E-12072022-237253

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 12, 2022/आषाढ़ 21, 1944

No. 11]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 12, 2022/ASHADHA 21, 1944

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2022

का.नि.आ. 11(अ).—सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम 5 के साथ पठित आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित) की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय को प्राधिकृत किये जाने के बाद रक्षा मंत्रालय अधिसूचित करता है कि नीचे दिए गए प्रयोजनों के लिए 'ई छावनी' परियोजना के लिए रक्षा संपदा महानिदेशालय को, स्वैच्छिक आधार पर, आधार प्रमाणीकरण निष्पादन हेतु अनुज्ञा प्रदान करता है:

- (i) पट्टा का नवीनीकरण और विस्तार;
- (ii) फ्रीहोल्ड संपत्ति का नामान्तरण

रक्षा संपदा महानिदेशालय केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकथित आधार अधिप्रमाणन के उपयोग से सम्बंधित दिशा-निर्देशों का पालन करेगा।

[फा. सं. डीपीआईटी/छावनी/2020/ डी(क्यू एंड सी)/वाॉल-IV]

राकेश मित्तल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th July, 2022

S.R.O. 11(E).—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (as amended) read with rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020, the Ministry of Defence, having been authorised by the Central Government, hereby notifies that the Directorate General of Defence Estates is allowed to perform Aadhaar authentication, on voluntary basis, for ‘echhawani’ project for the purposes given below:-

- (i) Lease renewal & extension;
- (ii) Mutation of Freehold properties.

The Directorate General of Defence Estates shall adhere to the guidelines with respect to use of Aadhaar authentication as laid down by the Central Government.

[F. No. DPIT/Cantonment/2020/D(Q&C) Vol. IV]

RAKESH MITTAL, Jt. Secy.